Employment for Youths of State

635. SH. KULDEEP VATS, MLA: Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state:-

a) Whether it is a fact that the Hon'ble High Court has Stayed the Law of Government to reserve 75 per cent seats for local candidates in private sector jobs in State; and

b) If so, the steps likely to be taken by the Government to provide employment to youth in State?

Sh. AnoopDhanak, Hon'ble Labour Minister, (Independent Charge) Haryana

The implementation of the Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020 was stayed by the Hon'ble Punjab and Haryana High Court Chandigarh vide its order dated 03.02.2022. However, in a SLP filed by the State Government, the same has been vacated by Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 17.02.2022. At present,there is no stay on the operation of this Act.Employment would be provided as per the mandate of the Act.

राज्य के युवाओं के लिए रोजगार

635. श्री कुलदीप वत्स, एम.एल.ए. –क्या श्रम एवं राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के सरकार के कानून पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, तथा

(ख) यदि हां, तो राज्य में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जाने की संभावना है?

श्री अनूप धानक, माननीय श्रम मंत्री, (स्वतन्त्र प्रभार) हरियाणा

हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 के कार्यान्वयन पर माननीय पंजाब एव ंहरियाणा, उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 03.02.2022 द्वारा रोक लगा दी थी।हरियाणा सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एस0एल0पी0 दायर की थी, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.02.2022 द्वारा जारी स्टे को हटा दिया है।वर्तमान में इस अधिनियम के संचालन पर कोई रोक नही है।हरियाणा राज्य में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया जाएगा।